

24/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
श्री शंभरराज शंभरराज पुत्र शंभरराज काशी गजराज	जा म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 186 / 2021 GCMS No. 2021/899

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

24.11.2021 वादी श्री शंभरराज शंभरराज पुत्र शंभरराज
जाति काशी निवासी गजराज द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत गजराज में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 ग्राम गजराज पटवार मण्डल रूपपुर येड़ा के खाता नम्बर 298 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि शंभरराज पुत्र शंभरराज जाति काशी दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम श्री शंभरराज शंभरराज जाति काशी है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 919912431811- मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज शपथ पत्र - PAN - No. AKXPB5430E की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी रूपपुर येड़ा भू.अ.नि. (राजस्थान) एवं तहसीलदार कुचामनसिटी / नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

